संख्या ओ० एम०/ई—2-014/77 766 ।

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग

एवं

प्रशासनिक सुधार

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में;

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 5 नवम्बर, 1977 ।

विषय :—अतिरेक/छटनीग्रस्त कर्मचारियों का पुनर्नियोजन-सम्बन्धी कार्य ।

महोदय;

पूर्व में निर्गत उपर्युक्त विषयक आदेशों का अवक्रमण करते हुए निदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सरकारी निर्णय संसूचित करना है :—

(क) अतिरेक और छटनीग्रस्त कर्मचारियों के पुनर्नियोजन के सम्बन्ध में नीति-निर्धारण कार्य कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में सम्पादित किया जायगा ।

एवं

(ख) इस विषय सम्बन्धी निर्धारित नीति का कार्यान्वयन, विशेषत: अतिरेक/छटनीग्रस्त कर्मचारियों को नियोजन उपलब्ध कराने की कार्रवाई श्रम एवं नियोजन विभाग में की जायगी ।

विश्वासभाजन,

(पि० एस० अप्पु)

सरकार के मुख्य सचिव ।

XX पदाधिकारियों के साथ साक्षात्कार

शीघ्र

संख्या ओ० एम०/एम-1027/74 167 ।

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग,

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में;

सरकार के सभी प्रधान सचिव
सभी अपर सचिव
सभी विशेष सचिव
सभी विभागाध्यक्ष (सचिवालय से संलग्न)

पटना, दिनांक 11 मार्च, 1974 ।

विषय :—पदाधिकारियों के साथ साक्षात्कार ।

महोदय,

दिनांक 15-2-74 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई प्रशासन के प्रभारी विभागीय उप सचिव तथा निदेशकों की बैठक में यह प्रश्न उठा था कि अनेक लोग नियुक्ति तथा स्थानान्तरण के लिये उप सचिवों के पास प्रतिदिन काफी भीड़ लगाए

रहते हैं। इस संबंध में कार्मिक विभाग के आदेश संख्या 2958, दिनांक 9 दिसम्बर, 72 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए निदेशानुसार मुझे कहना है कि मुख्य सचिव का अनुदेश है कि संलग्न आदेश के आधार पर सभी विभाग कार्रवाई करने की कृपा करें तथा आवश्यक समझें तो इस विषय पर विभाग स्वयं विभागीय मंत्री की अनुमति ले ले।

विश्वासभाजन;
(कीर्ति नारायण)
सरकार के उप सचिव।

प्रे० र० 2958/ दिनांक 9 दिसम्बर, 1972।

कार्यालय आदेश

सेवा में,

कार्मिक विभाग के सभी उप सचिव/अवर सचिव।

यह आदेश दिया जाता है कि गैर-सरकारी अथवा सरकारी व्यक्तियों के साथ किसी भी कोटि के पदाधिकारियों के पदस्थापन तथा स्थानान्तरण संबंधी मामलों के सम्बन्ध में बात करने के लिये मुख्य सचिव अथवा सचिव, कार्मिक बिभाग के ऊपर छोड़ दिया जाय।

अतः अब से किसी भी उप सचिव अथवा अवर सचिव के लिये पदस्थापना तथा स्थानान्तरण संबंधी मामलों में गैरसरकारी अथवा सरकारी व्यक्तियों के साथ बात करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। उनसे स्पष्ट कह दिया जाना चाहिये कि वे सचिव, कार्मिक विभाग अथवा मुख्य सचिव के साथ मामले के सम्बन्ध में बात करें।

ह०/–पी०के० जे० मेनन
सरकार के मुख्य सचिव।

पत्र संख्या सी० एस० 3/एम० 3-111/77-1903

बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक;

श्री पि० एस० अप्पु,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में;

सभी प्रमुख सचिव/सभी सचिव/सभी विशेष सचिव/
सभी अपर सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 2 भाद्र, 1899 (सं०), 24 अगस्त, 1977 ई०।

विषय :—पदाधिकारियों द्वारा आम जनता से साक्षात्कार एवं उनकी शिकायतों का निराकरण।

महोदय;

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि जनतांत्रिक प्रणाली के अनुरूप जनता की शिकायतों को सुनने एवं उनके निराकरण के लिये समय-समय पर सरकार द्वारा निर्देश दिये गये हैं। फिर भी शासन के विभिन्न स्तरों पर जनता से साक्षात्कार की समुचित व्यवस्था के अभाव में अधिकांश लोग अपनी शिकायतों को लेकर सीधे सरकार के स्तर पर मुख्य मंत्री प्रभारी मंत्री से मिलने का आग्रह करते हैं। इसका प्रमुख कारण है विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर या तो उनकी शिकायतों की सुनवाई का मौका नहीं मिलता है या उनपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे जनता में निराशा और क्षोभ की भावना उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति लोकहित के सर्वथा प्रतिकूल है।

2. अतएव सरकार ने निर्णय लिया है कि सचिवालय से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक के सभी कार्यालय-प्रमुख अपने मुख्यालय में एवं जब वे सरकारी काम से भ्रमण में रहें तब भी प्रतिदिन डेढ़ घंटे का समय आम लोगों से मिलने के लिये निर्धारित करें और उसकी सूचना प्रसारित कर दें ताकि लोग इसे जान सकें और अपनी शिकायत लेकर उनसे मिल सकें।

3. सरकार चाहती है कि सभी स्तरों पर इस आदेश का पालन दृढ़ता से किया जाय। साथ ही सभी सरकारी विभागों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त क्षेत्रीय कार्यालय-प्रधानों को इसी तरह की व्यवस्था करने का निर्देश दें।

विश्वासभाजन,
(पि० एस० अप्पु)
सरकार के मुख्य सचिव।

संख्या ओ० एम०/आर-2-02/77 713

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग,

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष (सचिवालय से संलग्न)

पटना, दिनांक 1 अक्टूबर, 1977।

विषय :—सचिवालय के कार्य-कक्षों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सचिवालय के कार्य कक्षों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बिल्कुल निषिद्ध है। तो भी सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के कार्य कक्षों में अनधिकृत व्यक्ति—अनायास घुस आते हैं। स्थिति यहाँ तक हो गयी है कि गोपनीय शाखाओं में भी बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक नहीं है। इससे निःसन्देह काम में बहुत बाधा होती है। इस कारण संचिकाओं की गतिविधि एवं उनमें अंकित विचारों की गोपनीयता का अनुरक्षण सम्भव नहीं हो पा रहा है।

2. उपर्युक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सचिवालय अनुदेश के नियम 1·7 को संशोधित किया गया है। तत्सम्बन्ध शुद्धि-पत्र की प्रति अनुलग्न है। इस संशोधन के फलस्वरूप किसी तरह की जानकारी चाहनेवाले बाहरी व्यक्तियों को विभाग ध्यक्ष, सचिव, प्रधान सचिव, या उच्चतर स्तर के अधिकारियों के ही पास जाना होगा एवं अन्य पदाधिकारियों ए कर्मचारियों से उनके मिलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

3. मुझे अनुरोध करना है कि सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को इससे अवगत करा दिया जाय।

विश्वासभाजन
(पि० एस० अप्
मुख्य सचिव, बिह

ज्ञाप संख्या ओ० एम०/आर-2-02/77 713 /

पटना, दिनांक 1 अक्टूबर, 197

प्रतिलिपि सूचना पदाधिकारी, सचिवालय स्वागत कार्यालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

विश्वासभाजन
(मुकुन्द प्रसाद)
सरकार के अपर सचि